



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25082026-275741
CG-DL-E-25082026-275741

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4525]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 25, 2026/भाद्र 3, 1948

No. 4525]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 25, 2026/BHADRA 3, 1948

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2026

का.आ. 4710(अ).—केंद्रीय सरकार, मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) की धारा 26 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अवधारित करती है कि उक्त संहिता की धारा 26 की उप धारा (1) और उप धारा (3) के अधीन संदेय बोनस की संगणना के प्रयोजन के लिए, जहां धारा 26 की उप धारा (1) के अधीन बोनस के लिए पात्र किसी कर्मचारी की मजदूरी सात हजार रुपये प्रति मास से अधिक है, वहां ऐसे कर्मचारी को संदेय बोनस इस प्रकार संगणित किया जाएगा मानो उसकी मजदूरी सात हजार रुपये प्रति मास या केंद्रीय सरकार द्वारा नियत न्यूनतम मजदूरी, जो भी अधिक हो, थी।

2. यह अधिसूचना 21 नवंबर, 2025 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[फा. सं. एस-33027/5/2026-डब्ल्यूबी]

दीपिका कच्छल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th August, 2026

S.O. 4710(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 26 of the Code on Wages, 2019 (29 of 2019), the Central Government hereby determines that for the purpose of calculation of the bonus payable under sub-sections (1) and (3) of section 26 of the said Code, where the wage of an employee being eligible for bonus under sub-section (1) of section 26, exceed seven thousand rupees per mensem, the bonus payable to such employee shall be calculated, as if his wage was seven thousand rupees per mensem or the minimum wage fixed by the Central Government, whichever is higher.

2. This notification shall be deemed to have come into force on the 21st day of November, 2025.

[F. No. S-33027/5/2026-WB]

DEEPIKA KACHHAL, Jt. Secy.